

**अधिसूचना सं0 6/2018-सीमाशुल्क से 23/2018-सीमाशुल्क, तारीख 02-02-2018 का
स्पष्टीकारक जापन**

क्रम सं0	अधिसूचना सं0	वर्णन
1.	6/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	केंद्रीय बजट 2018-19 में प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की प्रभावी दर विहित करने के लिए अधिसूचना संख्यांक 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30 जून, का और संशोधन करने के लिए है
2.	7/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सभी मालों पर संपूर्ण शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण से छूट के लिए है
3.	8/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सभी मालों पर संपूर्ण माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण से छूट के लिए है
4.	9/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण से विनिर्दिष्ट मालों को छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना सं. 69/2004-सीमाशुल्क तारीख 09.04.2007 का विखंडन करने के लिए है
5.	10/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण से विनिर्दिष्ट मालों को छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना सं. 28/2007-सीमाशुल्क तारीख 01.03.2007 का विखंडन करने के लिए है
6.	11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	विनिर्दिष्ट मालों को संपूर्ण सामाजिक कल्याण अधिभार के उद्ग्रहण से छूट के लिए है ।
7.	12/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	विनिर्दिष्ट मालों को 3% से अधिक सामाजिक कल्याण अधिभार के उद्ग्रहण से छूट के लिए है ।
8.	13/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	आयातित माल पर समेकित कर पर उद्ग्रहणीय सामाजिक कल्याण अधिभार तथा माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर से पूर्ण रूप से छूट के लिए है
9.	14/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	रेशम फेब्रिक पर 10% से 20% बीसीडी की प्रभावी दर बढ़ाने के लिए अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क तारीख 27 अक्टूबर, 2017 का संशोधन करने के लिए है
10.	15/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	अधिसूचना सं. 6/2015-सीमाशुल्क तारीख 01.03.2015 के विखंडन करने के लिए है
11.	16/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	अधिसूचना सं. 7/2015-सीमाशुल्क तारीख 01.03.2015 के विखंडन करने के लिए है
12.	17/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	अधिसूचना सं. 57/98-सीमाशुल्क तारीख 01.08.1998 के विखंडन करने के लिए है

	2018	
13.	18/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	अधिसूचना सं. 59/99-सीमाशुल्क तारीख 11.05.1999 के विखंडन करने के लिए है
14.	19/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	वित्त (सं.2) अधिनियम, 1998 की धारा 103 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क (सड़क उपकर) से छूट के लिए है
15.	20/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 116 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क (सड़क उपकर) से छूट के लिए है
16.	21/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	वित्त विधेयक, 2018 के खंड 110 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचनात्मक उपकर) के स्थान पर अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी) से छूट के लिए है
17.	22/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	सेलूलर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मालों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर (बीसीडी) की प्रभावी दरें विहित करने के लिए अधिसूचना संख्यांक 57/2017-सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है
18.	23/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	भट्टियों के लिए प्रयुक्त तरह के इलेक्ट्रोड्स पर निर्यात शुल्क की "कुछ नहीं" दर विहित करने के लिए अधिसूचना संख्यांक 27/2011-सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2011 का और संशोधन करने के लिए है

**अधिसूचना सं. 1/2018 से 13/2018-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 2
फरवरी, 2018 का स्पष्टीकारक जापन**

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	1/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	अधिसूचना सं0 10/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015 का विखंडन करने के लिए है ।
2.	2/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	अधिसूचना सं0 11/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 2015 का विखंडन करने के लिए है ।
3.	3/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	अधिसूचना सं0 38/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 4 अगस्त, 2004 का विखंडन करने के लिए है ।
4.	4/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	अधिसूचना सं0 62/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 दिसम्बर, 2008 का विखंडन करने के लिए है ।
5.	5/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	अधिसूचना सं0 21/2009-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 7 जुलाई, 2009 का विखंडन करने के लिए है ।
6.	6/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,	अधिसूचना सं0 29/2002-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 मई,

	तारीख 2 फरवरी, 2018.	2002 का विखंडन करने के लिए है ।
7.	7/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018.	वित्त (सं0 2) अधिनियम, 1998 की धारा 111 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सड़क उपकर) से छूट प्रदान करने के लिए है ।
8.	8/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018.	वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सड़क उपकर) से छूट प्रदान करने के लिए है ।
9.	9/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018.	अधिसूचना सं0 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए है जिससे पेट्रोल डीजल पर मूल केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (बीइडी) की दर दो रूपए प्रति लीटर की दर से कम की जा सके ।
10.	10/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में आने वाले मालों पर उत्पाद-शुल्क के 50% की दर पर संगणित रकम के आधिक्य पर ऐसे अधिक उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए है ।
11.	11/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018.	वित्त विधेयक, 2018 के खंड 110 के अधीन उद्ग्रहणीय 5% एथेनोल सम्मिश्र पेट्रोल को अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को (सड़क और अवसंरचना उपकर) से छूट प्रदान करने के लिए है ।
12.	12/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018.	वित्त विधेयक, 2018 के खंड 110 के अधीन उद्ग्रहणीय 10% एथेनोल सम्मिश्र पेट्रोल को अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से (सड़क और अवसंरचना उपकर) छूट प्रदान करने के लिए है ।
13.	13/2018 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018	वनस्पति तेलों से प्राप्त लॉग चेन फैटी अम्लों के एलकाइल ईस्टर सहित हाई स्पीड डीजल ऑयल सम्मिश्र जिसे सामान्यतः बायो डीजल के रूप में ज्ञात, 20% परिमाण तक जो कि एक सम्मिश्र है जिसमें 80% या अधिक हाई स्पीड डीजल ऑयल को वित्त विधेयक, 2018 के खंड 110 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से (सड़क और अवसंरचना उपकर) छूट प्रदान करने के लिए है ।